कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड जयपुर–15)

क्रमांक : एफ–13 ( ) उपा.आयो–II / ननिज / 2023 / 290 दिनांक 8/8/23

सार्वजनिक सूचना

भूखण्ड सं. भूखण्ड संख्या 55, बृजमण्डल कॉलोनी (गुलाब बाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड) जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री कन्हैया लाल शर्मा के पक्ष में क्षेत्रफल 100.00 वर्गगज वगर्गज पट्टा विलेख जारी किया गया था। मूल आवंटी ने जरिए रजि. विक्रय पत्र द्वारा श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा के पक्ष में बेचान किया गया। श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा ने जरिए रजि. विक्रय पत्र द्वारा श्रीमती मेवा देवी पत्नी स्व. श्री सत्यनारायण शर्मा के पक्ष में बेचान किया गया। श्रीमती मेवा देवी पत्नी स्व. श्री सत्यनारायण शर्मा ने जरिए रजि. वसीयतनामा द्वारा श्री राजीव जोशी पुत्र स्व0 श्री सत्यनारायण जोशी के पक्ष में वसीयत की गई। श्रीमती मेवा देवी की मृत्यु दिनांक 01.02.2014 हो चुकी हैं। प्रकरण आवदेक द्वारा प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग), पंजीकृत पट्टा मय साइट प्लान की फोटोप्रति, पंजीकृत विक्रय पत्रों की फोटोप्रति, रजि0 वसीयतनामा की फोटोप्रति, मूल मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य चैन दस्तावेजों की फोटोप्रतियों के आधार पर श्री राजीव जोशी पुत्र स्व0 श्री सत्यनारायण जोशी के पक्ष में उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण जारी किया जाना है। उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, आयोजना–द्वितीय) में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त (आयोजना द्वितीय)
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

D/ Palaning II/ Public Notice 23